



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/अजम-315/सीसाजस्ता-01/खंड-II

दिनांक : 21.05.2019

प्रेषित : खान एजेण्ट
कायड लेड-जिंक खदान
मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि.
पोस्ट-कायड,,जिला-अजमेर-305023(राजस्थान)

विषय : राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित आपकी कायड लेड-जिंक खदान क्षेत्रफल 480.45 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

श्री बी.एल.कोटडीवाला, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.05.2019 को श्री संदीप बी. नारडे, खान प्रबंधक के उपस्थिति में किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा							
11(2)	Mining operations are not being carried out in accordance with the modified mining plan approved vide letter no. 584(4)(3)(1706)/2017-RCM-AJM dated 03/11/2017 for the year 2018-19 to the extent indicated below:							
	(i) Exploration							
	Year	Level	Exploration proposed			Exploration carried out		
	2018-19	UG (G1)	Area Ha.	No. of bore holes	Meterage (Meter)	Area Ha.	No. of bore holes	Meterage (Meter)
			4.93	35	6000m	4.5	27	4728m
		Surface (G3)	106	50	23000m	95.4	45	29854m
	It shows that underground exploration has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total exploration also.							
	(ii) Development							
		Level RL	Name	Proposed Development		Actual Development		
	K1A	375 - 450	Decline	240		48		
			Ore Drives	250		0		
			Waste X/C	540		79		
			Raises	50		0		
	S1	300-375	Decline	300		173		
			Ore Drives	350		0		
			Waste X/C	800		0		
			Raises	50		0		
	Block III	150-225	Decline	0		222		
			Ore Drives	1,750		2091		
			Waste X/C	1670		2775		
			Raises	150		501		
		50-150	Decline	600		350		

		Ore Drives	750	853
		Waste X/C	150	1563
		Raises	100	222
		Contingent development	750	249
	Total	Decline	1140	793
		Ore Drives	3100	2944
		Waste X/C	3160	4666
		Raises	350	723
		Grand Total	8,500	8402
It shows that underground development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.				
(iii) Production				
			Production Planned in Year 2019-20	Actual Production carried out in year 2018-19
	125mRL to 150mRL	Stope	S115, S130, S145, S160	S115, S130, S145, S160
		Tonnage	-	149996
It shows that 1,49,996 tons production has been raised without proposals in the approved mining plan during the year 2018-19.				
30(1)	During inspection it was observed that the stoping has been carried out in stope no. S170 between 125mRL to 150mRL with tonnage of 45483 tonne without prior approval in writing as required under this rule.			

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डॉ.ए.जेड.खान)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को ई-मेल द्वारा।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो